

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10033/5054

दिनांक :- 04/02/2020

कार्यालय आदेश


श्री /श्रीमती / सुश्री मुकेश अवतार [लिंक न. 10033] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार, राजस्व विभाग, भीम, राजसमंद - [24552] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 15/05/2018 से 24/05/2018 तक 10 दिवस

दिनांक 04/06/2018 से 06/06/2018 तक 3 दिवस

कुल 13 दिवस

उक्त कुल 13 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री मुकेश अवतार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।



(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10033/5054

दिनांक :- 04/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. तहसीलदार, राजस्व विभाग, भीम, राजसमंद
2. कोषाधिकारी राजसमंद
3. श्री /श्रीमती / सुश्री मुकेश अवतार [10033] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार, राजस्व विभाग, भीम, राजसमंद
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली



(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12489/5055

दिनांक :- 04/02/2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री नरेंद्र कुमार डाभी [लिंक न. 12489] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय पुलिस अधीक्षक, गृह विभाग, बाड़मेर - [17337] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 03/10/2018 से 11/10/2018 तक 9 दिवस

कुल 9 दिवस

उक्त कुल 9 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री नरेंद्र कुमार डाभी की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

— 3
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12489/5055

दिनांक :- 04/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. पुलिस अधीक्षक, गृह विभाग, बाड़मेर
2. कोषाधिकारी बाड़मेर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री नरेंद्र कुमार डाभी [12489] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय पुलिस अधीक्षक, गृह विभाग, बाड़मेर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

—
(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10166/5056

दिनांक :- 04/02/2020


कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री नरेंद्र सिंह राव [लिंक न. 10166] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार, राजस्व विभाग, गोगुन्दा, उदयपुर - [15262] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 14/01/2019 से 25/01/2019 तक 12 दिवस

कुल 12 दिवस

उक्त कुल 12 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री नरेंद्र सिंह राव की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।



(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10166/5056

दिनांक :- 04/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. तहसीलदार, राजस्व विभाग, गोगुन्दा, उदयपुर
2. कोषाधिकारी उदयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री नरेंद्र सिंह राव [10166] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार, राजस्व विभाग, गोगुन्दा, उदयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 13126/ 50 57

दिनांक :- 04/02/2020


कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री महेश कुमार [लिंक न. 13126] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर - [1092] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 25/09/2018 से 28/09/2018 तक 4 दिवस

कुल 4 दिवस

उक्त कुल 4 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री महेश कुमार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।



(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 13126/ 50 57

दिनांक :- 04/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर
2. कोषाधिकारी अलवर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री महेश कुमार [13126] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)